(168)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0

R. 5385-दो/16

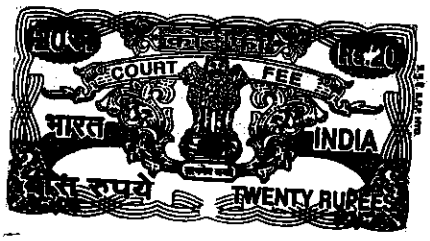

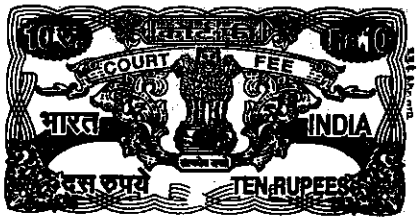

1- बालेन्दु शेखर तिवारी तनय श्री ब्रज मोहन प्रसाद तिवारी उम्र 56 वर्ष, पेशा खेती एवं नौकरी, निवासी बेलवा सुरसरी सिंह, तह0 सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

2:- राजेन्द्र प्रसाद तिवारी तनयश्री ब्रज मोहन प्रसाद तिवारी उम्र 5 पेशा खेती, निवासी बेलवा सुरसरी सिंह, तह0 सिरमौर, जिला रीवा म0प्र

== निगरानीकर्ता

आवेदक द्वारा के अभिभाषक श्री बी.के. त्रिपाठी एड-वोकेट पेश) 1-9-16

1.9.16

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1:-श्रीमती करूणा उर्फ विनोद देवी उम्र 35 वर्ष, पुत्री स्व0 घनश्यामप्रसाद पत्नी नरेन्द्र कुमार गौतम (मिश्रा) निवासी ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह हाल पता ग्राम महमूदपुर, तह0 सिरमौर जिलारीवा म0प्र0 --

2:- ब्रज मोहन प्रसाद त्रिपाठी उम्र 81 वर्ष, तनय स्व0 रामजीराम ब्रा0 निवासी ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह तह0 सिरमौर, जिला रीवाम0प्र0

--- गैर निगरानीक

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदा महोदय सर्किल गिर्द सिरमौर के आदेश दि 2-7-2016, प्र0क्र0 70 अ 6/2014-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5385–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री वी0 के0 तिवारी द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सर्किल गिर्द सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 70/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2.7.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की जो तहसीलदार द्वारा निरस्त करते हुये कहा गया है कि प्रकरण में आपंत्तिकर्ता पक्षकार नहीं है तथा आपत्ति निरस्त कर दी गई है। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यदि आपत्तिकर्ता का प्रकरण में हित था तो वह पहले पक्षकार बनने का आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करते उसके पश्चात आपत्ति प्रस्तुत करते। परिणामस्वरूप आवेदक प्रकरण में हितबद्व पक्षकार नहीं होने के कारण	

तहसीलदार सर्किल गिर्द सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 70/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2.7.16 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य